रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012026-269537
CG-DL-E-22012026-269537

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2026/माघ 2, 1947**
No. 330] **NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2026/MAGHA 2, 1947**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

का.आ. 358(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465(अ), दिनांक 26 अप्रैल 2002 द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.28 के किमी 0.000 से किमी 365.570 तक (लखनऊ से फैजाबाद से गोरखपुर से उत्तर प्रदेश/बिहार राज्य की सीमा तक)** का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा गया है;

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने मेसर्स आईआरबी हरिहर कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 11वां तल, 1101 हीरानंदनी नॉलेज पार्क, पवई, मुंबई-400076 में है (जिसे इसके पश्चात "कंसेसनेयर" कहा जाए) के साथ 27.02.2025 को उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-28 (नया एनएच-27) के चार लेन लखनऊ–अयोध्या खंड (मौजूदा किमी 15+400 से मौजूदा किमी 137+970 तक) पर टोल लगाने, संचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण के लिए एक करार (जिसे इसके पश्चात उक्त करार कहा जाए) किया है।

अब, इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और करार पर हस्ताक्षर होने तक इसके अधिसूचित किसी भी अन्य संशोधन और ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या करने से छूटी हुई बातों को छोड़कर अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 5948(अ) दिनांक 19.12.2022 का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार, उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन में शामिल व्यय, निवेश की गई पूंजी पर ब्याज, उचित रिटर्न, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण और कंसेसनेयर के साथ किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि केवल जहां तक यह **राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के किमी 15.400 से किमी 137.970 तक संबंधित है**, उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे तालिका-1 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगाया और संग्रहित किया जाएगा:-

लखनऊ–अयोध्या खंड के किमी 137+100 (मौजूदा किमी 15+400 से मौजूदा किमी 137+970 तक) पर वीयूपी का निर्माण पूरा होने से पहले

नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर चार या अधिक लेन की निवल सड़क खंड लंबाई 102.105 किमी [तालिका 2.1] और 17.049 किमी (1.7049 किमी की लंबाई वाली [तालिका 4.1]) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए नीचे तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर और दस करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाले 18.760 किमी कुल निवल लंबाई [तालिका 3.1]) वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर पर शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा, तथा उक्त कंसेसनेयर को वाणिज्यिक संचालन की तिथि या प्रकाशन या आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि, जो भी बाद में हो, से लेकर करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तिथि तक शुल्क संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

लखनऊ–अयोध्या खंड के किमी 137+100 (मौजूदा किमी 15+400 से मौजूदा किमी 137+970 तक) पर वीयूपी का निर्माण पूरा होने के पश्चात

नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर चार या अधिक लेन की निवल सड़क खंड लंबाई 102.035 [तालिका 2.2) और 17.749 किमी (1.7749 किमी की लंबाई वाली, [तालिका 4.2] समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए नीचे तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और दस करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाले 18.760 किमी कुल निवल लंबाई [तालिका 3.2] वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर पर शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा, तथा उक्त कंसेसनेयर को संचालन की तिथि या प्रकाशन या आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि, जो भी बाद में हो, से लेकर करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तिथि तक शुल्क संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

तालिका 1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदग्रहीत और संग्रहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर, उपरोक्त तालिका 1 में उल्लिखित आधार दरों पर देय और संदेय होगी, अर्थात:-

लखनऊ–अयोध्या खंड के किमी 137+100 (मौजूदा किमी 15+400 से मौजूदा किमी 137+970 तक) पर वीयूपी का निर्माण पूरा होने से पहले

तालिका 2.1			
क्र.सं.	**टोल प्लाजा का अवस्थान (मौजूदा किलोमीटर) [किमी]**	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
1.	53+000 किलोमीटर पर अहमदपुर टोल प्लाज़ा	42.010 [0.3303 किमी संरचनाओं को छोड़कर (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) और बाईपास लंबाई 18.7599 किमी को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	107+000 किलोमीटर पर रोनाही टोल प्लाज़ा	60.095 [1.3746 किमी संरचनाओं को छोड़कर (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

लखनऊ–अयोध्या खंड के किमी 137+100 (मौजूदा किमी 15+400 से मौजूदा किमी 137+970 तक) पर वीयूपी का निर्माण पूरा होने के पश्चात

तालिका 2.2			
क्र.सं.	**टोल प्लाजा का अवस्थान (मौजूदा किलोमीटर) [किमी]**	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
1.	53+000 किलोमीटर पर अहमदपुर टोल प्लाज़ा	42.010 [0.3303 किमी संरचनाओं को छोड़कर (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) और बाईपास लंबाई 18.7599 किमी को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	107+000 किलोमीटर पर रोनाही टोल प्लाज़ा	60.025 [1.4446 किमी संरचनाओं को छोड़कर (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) और बाईपास लंबाई 0.0 किमी को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाईपास की लंबाई के लिए ऊपर तालिका 1 में उल्लिखित आधार दर का डेढ़ गुना होगा:-

तालिका 3

टोल प्लाजा का अवस्थान	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई (60 मीटर से अधिक की संरचना को छोड़कर) एवं लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (करोड़ रुपए मैं)**	
53+ 000 किलोमीटर पर अहमदपुर टोल प्लाज़ा	बाराबंकी बाईपास	19+811	32+320	12.370	10 करोड़ से अधिक	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	रामस्नेही घाट बाईपास	62+800	69+250	6.390	10 करोड़ से अधिक	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी, ऊपर तालिका 1 में उल्लिखित दर पर, देय और संदेय होगा:

I. लखनऊ–अयोध्या खंड के किमी 137+100 (मौजूदा किमी 15+400 से मौजूदा किमी 137+970 तक) पर वीयूपी का निर्माण पूरा होने से पहले

तालिका 4.1

टोल प्लाजा का अवस्थान (मौजूदा किलोमीटर [किमी])	**सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (किमी में)**	**समकक्ष सड़क लंबाई (किमी में)**	**दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है**
53+000 किलोमीटर पर अहमदपुर टोल प्लाज़ा	0.33034	3.3034	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
107+000 किलोमीटर पर रोनाही टोल प्लाज़ा	1.3746	13.746	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*संरचनाओं (>60 मीटर लंबाई वाली) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

आरंभ	समाप्त	संरचना का प्रकार	कुल लंबाई (किमी)
चेनेज (किमी पर)	चेनेज (किमी पर)		
15+554	15+614	बड़ा पुल	0.06025
20+395	20+533	आरओबी	0.13884
68+715	68+775		0.0603
72+585	72+655	बड़ा पुल	0.07095
कुल लंबाई			**0.33034**
82+819	83+756	आरओबी	0.937
122+923	123+037	फ्लाईओवर	0.11480
126+261	126+369	फ्लाईओवर	0.10760
126+811	126+919	फ्लाईओवर	0.10760
130+361	130+469	फ्लाईओवर	0.10760
कुल लंबाई			**1.37460**

II. **लखनऊ–अयोध्या खंड के किमी 137+100 (मौजूदा किमी 15+400 से मौजूदा किमी 137+970 तक) पर वीयूपी का निर्माण पूरा होने के पश्चात**

तालिका 4.2			
टोल प्लाजा का अवस्थान (मौजूदा किलोमीटर [किमी])	**सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (किमी में)**	**समकक्ष सड़क लंबाई (किमी में)**	**दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है**
53+000 किलोमीटर पर अहमदपुर टोल प्लाज़ा	0.33034	3.3034	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
107+000 किलोमीटर पर रोनाही टोल प्लाज़ा	1.4446	14.4460	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*संरचनाओं (>60 मीटर लंबाई वाली) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

आरंभ	समाप्त	संरचना का प्रकार	कुल लंबाई (किमी)
चेनेज (किमी पर)	चेनेज (किमी पर)		
15+554	15+614	बड़ा पुल	0.06025
20+395	20+533	आरओबी	0.13884

68+715	68+775	बड़ा पुल	0.0603
72+585	72+655	बड़ा पुल	0.07095
कुल लंबाई			**0.33034**
82+819	83+756	आरओबी	0.937
122+923	123+037	फ्लाईओवर	0.11480
126+261	126+369	फ्लाईओवर	0.10760
126+811	126+919	फ्लाईओवर	0.10760
130+361	130+469	फ्लाईओवर	0.10760
137+065	137+135	वीयूपी	0.070
कुल लंबाई			**1.4446**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए रुपए 340.00 (तीन सौ चालीस रूपए केवल) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. किसी यांत्रिक वाहन पर नियमों के अंतर्गत उसकी श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदा हुआ है, तो उसे प्लाजा पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता। संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, उक्त नियमों में लागू प्रावधान के अनुसार शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभारित वाहन के प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्: -

अधिकतम अनुज्ञेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत	आधार दर में गुणन कारक	शुल्क
(1)	(2)	(3)
0% से 20%	दो	[(नियम 4 के उप-नियम (2) के अंतर्गत यांत्रिक वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क) x (गुणन कारक)]
>20% से 40%	चार	
>40% से 60%	छह	
>60% से 80%	आठ	
>80% और उससे अधिक	दस	

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा इसे कंसेसनेयर के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और उसके बाद उक्त नियम के नियम 5 और रियायत करार के उपबंधों के अनुसार इसे प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा; तथापि, बशर्ते कि ऐसा संशोधन शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि तक प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. वित्त प्रभाग-16011(15)/1/2024-सीजीएम(वित्त-I) कार्या./ई-247572]

चेतन नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2026

S.O. 358(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways and S.O. 465 (E) dated 26th April 2002 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch **from km 0.000 to km 365.570 (Lucknow to Faizabad to Gorakhpur to Uttar Pradesh/ Bihar Border section) on National Highway No. 28 in the State of Uttar Pradesh** to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

And whereas pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement (hereinafter referred to as said Agreement) with M/s IRB Harihara Corridors Pvt Ltd, having its Registered Office at 11th Floor, 1101 Hiranandani Knowledge Park, Powai, Mumbai- 400076 (Hereinafter referred to as "Concessionaire") the successful bidder forthe bid submitted on 27.02.2025 for the Tolling, Operation, maintenance, and Transfer of four lane Lucknow - Ayodhya (from Existing Km 15+400 to Existing Km 137+970) section of NH-28 (New NH 27) in the State of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the said section).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and in supersession of the Notification Number S.O. No. 5948(E) dated 19.12.2022**, only insofar as it relates to NH-28 from Km 15.400 to Km 137.970** except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rates specified in column (2) of Table -1 below for

Before Completion of construction of VUP at Km 137+100 from Existing Km 15+400 to Existing Km 137+970) Lucknow – Ayodhya Section

Net Road Section Length of 102.105 km [Table-2.1] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 17.049 Km (having length 1.7049 Km[Table-4.1]) and at one and a half times of the base rate for use of bypasses, costing rupees ten crore or more, having length of 18.760 Km [Table-3.1] for four or more lane section on the type of vehicles specified in Column (1) of Table 1 and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Appointed Date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement.

After completion of construction of VUP at Km 137+100 from Existing Km 15+400 to Existing Km 137+970) Lucknow – Ayodhya Section

Net Road Section Length of 102.035 km [Table-2.2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 17.749 Km (having length 1.7749 Km [Table-4.2]) and at one and a half times of the base rate for use of bypasses, costing rupees ten crore or more, having length of 18.760 Km [Table-3.2] for four or more lane section on the type of vehicles specified in Column (1) of Table 1 and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Appointed Date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement.

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per Km for the Base Year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	**(2)**
Car, Jeep, Van, or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Toll Plaza, at the base rates mentioned in Table 1 above, for the distance specified for such Toll Plaza(s) namely: -

Before completion of construction of VUP at Km 137+100 from Existing Km 15+400 to Existing Km 137+970) Lucknow – Ayodhya Section

Table 2.1			
S. No.	**Location of Toll Plaza (Existing Kilometer [Km])**	**Length (in km) for which Fee is Payable**	**Rate at which Fee is payable**
1.	Ahmedpur Toll plaza at Km 53+000	42.010 [excluding 0.3303 km of structures (having length more than 60m) and excluding bypass length 18.7599 km]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned inTable-1 above

2.	Ronahi Toll plaza at Km 107+000	60.095 [excluding 1.3746 km of structures (having length more than 60m) and excluding bypass length 0.0 km]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned inTable-1 above

After completion of construction of VUP at Km 137+100 from Existing Km 15+400 to Existing Km 137+970) Lucknow – Ayodhya Section

Table-2.2

S. No.	**Location of Toll Plaza (Existing Kilometer [Km])**	**Length (in km) for which Fee is Payable**	**Rate at which Fee is payable**
1.	Ahmedpur Toll plaza at Km 53+000	42.010 [excluding 0.3303 km of structures (having length more than 60m) and excluding bypass length 18.7599 km]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned inTable-1 above
2.	Ronahi Toll plaza at Km 107+000	60.025 [excluding 1.4446 km of structures (having length more than 60m) and excluding bypass length 0.0 km]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned inTable-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Fee Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table 1 above for the length of Bypass(es) specified for such Fee Plaza(s):-

Table-3

Location of Toll Plaza	**Name of Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length (excluding structure >60m) & cost of Bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which Fee is payable**
				Length (in Km)	**Cost (in Rs. Crores)**	
Ahmedpur Toll plaza at Km 53+000	Barabanki Bypass	19+811	32+320	12.370	>10 Cr.	150% for 4 or more lane of the base rates mentioned inTable-1 above
	Ramsanehi Ghat Bypass	62+800	69+250	6.390	>10 Cr.	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10, at the base rate mentioned in Table 1 above: -

I. Before Completion of construction of VUP at Km 137+100 from Existing Km 15+400 to Existing Km 137+970) Lucknow – Ayodhya Section

Table 4.1

Location of Toll Plaza (Existing Kilometer [Km])	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length (in km)**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which Fee is payable**
Ahmedpur Toll plaza at Km 53+000	0.33034	3.3034	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

Ronahi Toll plaza at Km 107+000	1.3746	13.746	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details of structures (> 60 m length) are as under:

Start	**End**	**Type of Structure**	**Total Length (km.)**
Chainage (at Km)	**Chainage (at Km)**		
15+554	15+614	Major Bridge	0.06025
20+395	20+533	ROB	0.13884
68+715	68+775	Major Bridge	0.0603
72+585	72+655	Major Bridge	0.07095
Total Length			**0.33034**
82+819	83+756	ROB	0.937
122+923	123+037	Flyover	0.11480
126+261	126+369	Flyover	0.10760
126+811	126+919	Flyover	0.10760
130+361	130+469	Flyover	0.10760
Total Length			**1.37460**

II. **After completion of construction of VUP at Km 137+100 from Existing Km 15+400 to Existing Km 137+970) Lucknow – Ayodhya Section**

Table 4.2

Location of Toll Plaza (Existing Kilometer [Km])	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which Fee is payable**
Ahmedpur Toll Plaza at Km 53+000	0.33034	3.3034	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
Ronahi Toll plaza at Km 107+000	1.4446	14.4460	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details of structures (> 60 m length) are as under:

Start	**End**	**Type of Structure**	**Total Length (m.)**
Chainage (at Km)	**Chainage (at Km)**		
15+554	15+614	Major Bridge	0.06025
20+395	20+533	ROB	0.13884
68+715	68+775	Major Bridge	0.0603
72+585	72+655	Major Bridge	0.07095
Total Length			**0.33034**

82+819	83+756	ROB	0.937
122+923	123+037	Flyover	0.11480
126+261	126+369	Flyover	0.10760
126+811	126+919	Flyover	0.10760
130+361	130+469	Flyover	0.10760
137+065	137+135	VUP	0.070
Total Length			**1.4446**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 340.00 (Rupees Three Hundred Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of said Rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-5

Amount Payable	**Maximum number of one-way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency as per the applicable provision in the said rules, namely: -

Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight	**Multiplying Factor to the base rate**	**Fees**
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	Two	[(Fees applicable for such category of mechanical vehicle under sub- rule (2) of rule 4) x (Multiplying factor)]
>20% to 40%	Four	
>40% to 60%	Six	
>60% to 80%	Eight	
>80% and above	Ten	

8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rule and provisions of the concession agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F. No. FINDIV-16011(15)/1/2024-O/o CGM (Finance-I)/E-247572]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.22 22:34:19 +05'30'